शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण बाधित छात्रों के शैक्षिक वृत्तिक अध्ययन और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्तियों को (Professional) अध्ययन और व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने की नियमावली।

उद्देश्य और प्रयोजनः

(1) इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य विकलांग होने के कारण बाधित (Physcially and Orthaopaedically handicapped) व्यक्तियों को ऐसी शिक्षा वृत्तिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायत देना है जिससे वे अपनी जीविका अर्जित कर सके और स्वावलम्बी बन सकें।

इस योजना के अन्तर्गत केवल निम्नलिखित श्रेणियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेगी –

1– अन्धे (Blind)

2– बधिर तथा मूक (Deaf and Dumb)

3– विकलांग

परिभाषाएं :

(2) इन छात्रवृत्तियों के प्रयोजन के लिए शब्द (1) अन्धे (2) बधिर तथा मूक और (3) विकलांग होने के कारण बाधित व्यक्तियों की परिभाषा निम्न प्रकार से की जायेगी :–

1– अन्धे वे छात्र होंगे जो निम्नलिखित स्थितियों से पीड़ित हों–

क– जो पूर्ण रूप से दृष्टि विहीन हो।

ख– जिनको चश्में के साथ अच्छे नेत्र का दृष्टि संतुलन 3/60 अथवा 10/200 स्नेलेन से अधिक न हो (Visual atqulty not exceding 3/60 or 10/200 (Snellen in the better eye with correcting lenses)

2– बधिर तथा मूक : मूक बधिर वे व्यक्ति माने जायेंगे जिनमें जीवन के साधारण प्रयोजनों के लिए वाक: एवं श्रवण शक्ति बिल्कुल अकार्यशील हो। सामान्यतया 500–1000 या 2000 की फ्रीक्वेन्सी में 70 डेसिवल (Decibles) या उससे अधिक की हीनता अविशिष्ट श्रवण शक्ति को अकार्यशील करने वाली समझी जायेगी।

3– विकलांग मूक बधिरों के अतिरिक्त विकलांगों में उन व्यक्तियों की गणना होगी जिनमें ऐसे शारीरिक दोष या विरूपता (Deformity) हो जिसके कारण उनकी हड्डियों, मांसपेसियों (Muscles) या जोड़ों (Joints) के साधारण रूप से कार्य करने में रूकावट होती हो।

पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत केवल निम्नलिखित शर्तों में आने वाले छात्रों के ही प्रार्थना पर विचार किया जायेगा।

1– शारीरिक रूप से बाधित छात्र जो 6 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की आयु के हो उपर्युक्त नियम 3 में निर्दिष्ट किन्हीं श्रेणीयों में आते हो।

2– इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों के लिए प्रार्थना–पत्र देने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि

भारत के राष्ट्रीय (National) हों और सामान्यतः उत्तर प्रदेश के निवासी हो तथा उत्तर प्रदेश के ही किसी ऐसी शैक्षिक अथवा प्राविधिक संस्था में शिक्षा प्राप्त करते हों जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा विश्वविद्यलाय से सम्बद्ध हो।

3– इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले उम्मीदवारों के लिए आवयश्यक हैं कि वे भारत, सरकार के केन्द्रीय या राज्य समाज कल्याण परिषद् से अथवा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश से अन्य किसी विभाग से कोई सहायता अथवा छात्रवृत्ति न पाते हों।

4– इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बाहर अध्ययन करने के लिए कोई छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। जिन छात्रों के संरक्षकों की मासिक आय 2000–00रु. तक प्रतिमाह है, उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी। आय का प्रमाण–पत्र किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा राजस्व विभाग के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के सांसद/विधान मण्डल सदस्य अथवा अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

5– इस योजना के अन्तर्गत जो छात्र वार्षिक परिक्षा में अनुत्तीर्ण होगे अथवा परीक्षा में सम्मिलित न होंगे सामान्यतः आगे छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी न होंगे। जो छात्र अस्वस्थता के कारण वार्षिक परीक्षा मे सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, उनके प्रार्थना–पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब विद्यालय के प्रधान यह प्रमाण–पत्र दें कि यदि छात्र परीक्षा में सम्मिलित होता तो उत्तीर्ण हो जाता। किन्तु सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य यदि आवश्यक समझे तो किसी विद्यार्थी को एक कक्षा में पहली बार अनुत्तीर्ण हो जाने के बावजूद आगामी वर्ष में छात्रवृत्ति का भुगतान जारी रख सकते हैं।

छात्रवृत्तियों की धनराशि तथा अवधिः

छात्रवृत्तियों की धनराशि प्रति माह यह होगी।

				वाचक भत्ता प्रतिमाह (केवल दृष्टि बाधित छात्रों के लिए)
1.	कक्षा 1 से 5 तक	– 25 रुपया	–	
2.	कक्षा 6 से 8 तक	– 40 रुपया	–	
3.	कक्षा 9 से 12 तक	– 85 रुपया	–	140 रु0 (छात्रावास में रहने वालों के लिए) 50
4.	स्नातक	– 125 रुपया	–	180 रु0 (छात्रावास में रहने वालों के लिए) 75
5.	स्नातकोत्तर	– 170 रुपया	–	240 रु. (छात्रावास में रहने वालों के लिए) 100
6.	अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बी.इ./बी.टेक./एम.बी.बी.एस./बी.एड./एल.एल.बी., तथा व्यावसायिक एवं अभियांत्रिकी डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम)	– 170 रुपया	–	240 रु0 (छात्रावास में रहने वालों के लिए) 100
7.	प्रोफेशनल कोर्स जिसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है।	– 30 रूपया प्रतिमाह		

शैक्षिक तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रकार :

(6) इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रकार जिनके लिये विभिन्न श्रेणियों के बाधित व्यक्तियों को उपलब्ध होगी, निम्नलिखित होंगी :–

(1) शिक्षिता पाठ्यक्रम (Apprenticeship Course) और सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे फोटोग्राफी, ड्राइंग,

रंगचित्र (पेटिंग) और अन्य ललित कलायें (फाइन आर्ट्स)।

(2) संगीत और प्रकृति चिकित्सा (Physiotherapy) के पाठ्यक्रम।

(3) प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक (Technical) और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे बढ़ईगीरी, कढ़ाई और दर्जीगीरी, बेंत के काम आदि।

(4) डिग्री स्तर के प्राविधिक पाठ्यक्रम जैसे आई.ए.सी., आई.ए., बी.एस.सी., एल.एल.बी., एम.ए., एम.एस.सी., पी–एच. डी. आदि।

(7) संस्था का अध्यक्ष हर महीने उस अवधि के लिए बिल तैयार करेगा, जिसके लिए छात्रवृत्ति देय हो चुकी है (उससे पहले नहीं) उस पर वैभागिक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करायेगा और तदुपरान्त प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में धनराशि को छात्रों में वितरित करने के लिए कोषागार खाते में से उसे भुनायेगा तथा सम्बन्धित छात्रों को भुगतान करेगा।

(8) प्रथम मास की पूरी छात्रवृत्ति तभी देय होगी जब छात्र उस मास की 20 तारीख से पूर्व संस्था में दाखिल हो जाय, यदि वह संस्था में 20 तारीख के बाद दाखिल होता है तो उसे उस मास के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।

(9) एक सत्र (Session) के लिए स्वीकृत छात्रवृत्ति का चालू रहना, निधियां उपलब्ध होने तथा इस बात पर निर्भर होगी कि संस्था के अध्यक्ष से छात्र की प्रगति संतोषजनक तिमाही रिर्पोट प्राप्त होती रहे तथा छात्र वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हों।

(10) यदि पूरा किये जाने वाले पाठ्यक्रम को जारी रहना हो जैसे इण्टरमीडिएट आर्टस प्रथम वर्ष से इण्टरमीडिएट आर्टस द्वितीय वर्ष तक आदि तो अनुगामी वर्षों के लिए छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण की दशा में छात्रवृत्ति उस मास के बाद वाले मास से दी जायेगी, जिस मास के लिए वह पूर्व शैक्षिक में दी गयी थी। अन्य दशा में छात्रवृत्ति दाखिलों के महीने से दी जायेगी।

(11) संस्था का अध्यक्ष छात्र से मास प्रति मास उसे दी गयी धनराशि के प्रतीक स्वरूप उससे टिकट लगी हुई रसीद प्राप्त करेगा और उस रसीद की एक प्रति जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पास भेजेगा।

(12) अस्वस्थता के कारण तीन मास से अधिक अवधि के लिए निरन्तर अनुपस्थिति रहने की दशा में विद्यालय के प्रधानाचार्य, की रिर्पोट के आधार पर छात्रवृत्ति देने पर पुनः विचार किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि छुट्टी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध चिकित्सा व्यवसायी (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर) के प्रमाण–पत्र द्वारा समर्पित हो। अन्य किसी कारण से तीन मास से अधिक की छुट्टी के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।

(13) संस्था के अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रत्येक छात्र के बारे में तिमाही प्रगति रिर्पोट जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को देता रहे। जिन छात्रों की शिक्षा संतोषजनक न हो स्वीकृत छात्रवृत्ति बन्द की जा सकती है।

(14) सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। छात्र अपना प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप पर उस संस्था के अध्यक्ष (जिसमें छात्र अध्ययन कर रहे हैं) के माध्यम से सम्बन्धित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

(15) जिलाधिकारी अपने जिलों के जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना पत्रों को प्राप्त होने की अन्तिम तिथि निर्धारित करेगा। तथा उस निर्धारित तिथि की घोषणा जनपद के स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से करेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।